

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector *Rudrapurayag*

No

Dated 18/02/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.7225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of Kunjethi to Byunkhi MOTOR ROAD (7.50 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Byunkhi village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.7225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)**

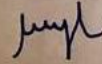
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Mangesh Ghildiyal I.A.S deputy commissioner,, Rudraprayag on dated 18/02/2019 at time 2:00 P.M...at Rudraprayag in which application claiming rights in 2.7225 ha area measuring 2.7225 hect for the construction of Kunjethi to Byunkhi MOTOR ROAD (7.50 Km) MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of W.S. Himach sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Rudraprayag

Dated: 18/02/2019



**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.7229 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 1.9996 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7225 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 16/02/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>विनोद कुमार</u> | उपजिलाधिकारी अगस्तमुनि उत्खीमठ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>सुदीप सिंह निरौली</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग | सदस्य |
| 3- | श्री <u>संजीव कुमार पाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>अमिता सिंह</u> | बी०डी०सी० | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.7225 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.7225 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ऊखीमठ
जनपद- रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sangaraj
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Bhsc
महसय क्षेत्र पंचायत कुणजेठी
बी० डी० सी० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Adm
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ऊखीमठ
जनपद- रुद्रप्रयाग

म.म.
उप प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ब्यूंखी
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.7225 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.9996 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7225 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ब्यूंखी द्वारा दिनांक 13/11/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिनगवाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

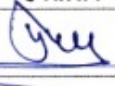
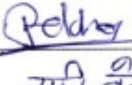
सरपंच
वन पंचायत ब्यूंखी
पोस्ट-काठीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रधान ग्राम पंचायत ब्यूंखी
हस्ताक्षर
दिनांक
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 13/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ब्यूखी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्कर सिंह	
2	भगवत सिंह	
3	अवतार सिंह	
4	पंचमा सिंह	पंचमा सिंह
5	जानकी सिंह	जानकी सिंह
6	देवडा सिंह	देवेंद्र सिंह
7	राजडा सिंह	राजेंद्र सिंह
8	विजया देवी	विजया देवी
9	देवडा सिंह	देवेंद्र सिंह
10	रेखा देवी	
11	तिप्ती देवी	तिप्ती देवी
12	जान सिंह	जान सिंह
13	विक्रम सिंह	
14	विजया सिंह	विजया सिंह
15	शिवदाज सिंह	
16	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
17	रुद्रा सिंह	विक्रम सिंह
18	विमल देवी	विमल देवी

ग्राम प्रधान



दिनांक 13/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ब्यूखी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	Mahpal Singh
2	विजय सिंह	विजय सिंह
3	गोहरा सिंह	गोहरा सिंह
4	रमेश सिंह	रमेश सिंह
5	सुंदर सिंह	सुंदर सिंह
6	जानकी सिंह	जानकी सिंह
7	दीपा सिंह	दीपा सिंह
8	रंजना सिंह	रंजना सिंह
9	गोपाला सिंह	गोपाला सिंह
10	विजय देवी	विजय देवी
11	सुंदर देवी	सुंदर देवी
12	रंजना देवी	रंजना देवी
13	गोपी देवी	गोपी देवी
14	विजय सिंह	Thang
15	विमला देवी	विमला देवी
16	नन्दा देवी	नन्दा देवी
17	सर्वश्री देवी	सर्वश्री देवी
18	लक्ष्मी सिंह	लक्ष्मी सिंह

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुणजेठी
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.7225 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.9996 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7225 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुणजेठी द्वारा दिनांक 13.11.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिनग्वाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

सरपंच
कुणजेठी



ग्राम प्रमुख/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 13/11/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुणजेठी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पद्मलाल सिंह	
2	मंगल सिंह	
3	SHIALENDRA SENWAL	
4	मंजू देवी	
5	आलोक कोटवाल	
6	बलवीर सिंह कौटवाल	
7	विनेश शुक्ला	
8	जुंवर सिंह राणा	
9	रामेश्वर प्रसाद	
10	त्रिभुवन सिंह	
11	देवेन्द्र सिंह	
12	उमेश सिंह	
13	प्रदीप सिंह	
14	वचन सिंह	
15	अमेश सिंह	
16	मुकेश	
17	पूजा देवी	
18	महेश राणा	



प्रपत्र 30.5

दिनांक 13/11/18 को ग्राम सभा की सम्यन्त बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुणजेठी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चक्रधर प्रसाद	चक्रधर
2	धर्मेन्द्र	धर्मेन्द्र
3	दिनेश शुक्ला	दिनेश शुक्ला
4	रमेश	रमेश
5	सूरज सिंह	सूरज
6	रमेश सेमवाल	Rus
7	रमेश सेमवाल	रमेश
8	हर्षमणी सेमवाल	हर्षमणी
9	जीतेन्द्र सिंह	जीतेन्द्र
10	भगवती प्रसाद	भगवती प्रसाद
11	जगन्नाथ प्रसाद	जगन्नाथ प्रसाद
12	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
13	कुँवर सिंह	कुँवर सिंह
14	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
15	ममोद रावत	ममोद रावत
16		
17		
18		

